पत्रांक–03 / ADB–05–01 / 2017 / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जयप्रकाश मंडल,
विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **ADB (एशियन डेवलपमेंट बैंक) से वित्तीय सहायता प्राप्त भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज–II के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहायक अनुदान के रूप में रू0 42.00 करोड़ (बयालीस करोड़ रू0 मात्र) की निकासी की स्वीकृति।**

आदेश :– स्वीकृत ।

विभागीय संकल्प सं0–2010 दिनांक–04.09.2017 के द्वारा बिहार के शहरों के विकास के सैद्धान्तिक निर्णय के तहत आधारभूत सरंचनाओं की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा ADB से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है। इसके तहत भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज–II योजना की स्वीकृति राज्य सरकार के प्रस्ताव के आलोक में ADB द्वारा दी गई।

2. भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज–II के लिए स्वीकृत राशि का 71 प्रतिशत ADB से ऋण के रूप में एवं 29 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। इस प्रकार योजना की कुल राशि 253.57 करोड़ रूपये में से 138.54 करोड़ रूपये ADB से ऋण एवं 115.03 करोड़ रूपये राज्य सरकार के द्वारा देय होगा।

3. बुडको द्वारा भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज–II के कार्यान्वयन हेतु रू0 42.00 करोड़ (बयालीस करोड़ रू0 मात्र) की राशि की मांग पत्रांक–82 दिनांक–29.02.2020 द्वारा की गयी है। तदनुसार ADB (एशियन डेवलपमेंट बैंक) से वित्तीय सहायता प्राप्त भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज–II के कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि रू0 42.00 करोड़ (बयालीस करोड़ रू0 मात्र)की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. स्वीकृत कुल रू0 42.00 करोड़ (बयालीस करोड़ रू0 मात्र) की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–256 दिनांक–26.02.19 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार, पटना से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में की जायेगी तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA), पटना के UNION Bank, एक्जीविशन रोड शाखा, पटना के खाता संख्या–529602010006436 (IFSC कोड–UBIN0552968) में अंतरित किया जाएगा। इस राशि को अविलम्ब कार्यकारी एजेन्सी बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 (BUIDCO), पटना को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जाएगा।

5. राशि की निकासी के लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

6. ADB (एशियन डेवलपमेंट बैंक) सम्पोषित योजना की केन्द्रांश के समतुल्य ऋण की राशि की व्यवस्था भी बजट उपबंध के माध्यम से की जानी है तथा व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु विपत्र विभाग के माध्यम से ADB (एशियन डेवलपमेंट बैंक) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो ADB (एशियन डेवलपमेंट बैंक) से राज्य सरकार को भारत सरकार के माध्यम से वापस प्राप्त होगा।

7. राशि की निकासी हेतु वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 बि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं की जायेगी। चूँकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है। इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम 270 के आलोक में टी0सी0 फार्म सं0–42 में राशि की निकासी की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, कार्यान्वयन एजेंसी बुडको द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जिसे वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं भारत सरकार एवं वित्त विभाग, बिहार को अवश्य भेजा जायेगा।

9. स्वीकृत राशि कुल रू0 42.00 करोड़ (बयालीस करोड़ रू0 मात्र)की निकासी मांग सं0–48–मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य– लघुशीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन उपशीर्ष–0501–बिहार नगरीय विकास परियोजना वाह्य संपोषित विपत्र कोड–**48-2217800010501**–विषय शीर्ष–0501.31.05–सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS कोड–1383 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में की जायेगी। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में 150.00 करोड़ रू0 (एक सौ पचास करोड़ रू0 मात्र) का वजट उपबंध प्राप्त है।

10. राशि का व्यय ADB (एशियन डेवलपमेंट बैंक) से वित्तीय सहायता प्राप्त भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज–II के कार्यान्वयन हेतु किया जायेगा।

11. राशि की निकासी के प्रस्ताव में संचिका के पृ0–49/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति दिनांक–12/03/2020 को प्राप्त है।

12. प्रस्ताव में विभागीय सक्षम प्राधिकार सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0–50/टि0 पर दिनांक–13/03/2020 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/ADB–05–01/2017 /न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–03/ADB–05–01/2017 258 /न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक–19/3/2020

प्रतिलिपि :–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/योजना शाखा–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, पटना/ बजट शाखा–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.03.2020

विशेष सचिव।